

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- मुसप्र/2016/200

दिनांक:- 5-5-16

संशोधित आदेश


मण्डल की 229 वी बैठक दिनांक 27.04.16 के बिन्दु संख्या 229.21 में मण्डल की 230वी बैठक दिनांक 01.04.16 के बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित कर प्रताप नगर आवासीय योजना खण्ड-पंचम् के अधीन मेवाड़ अपार्टमेन्ट सेक्टर-15, प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर के 21 फ्लेट्स का संशोधित आदेश जारी किया जाता है। उक्त फ्लेटों का निस्तारण नियमानुसार किया जावे।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड पंचम्, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (मु0)